

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार (बून्दी)

सरकार बनाम

निर्णय

मु.नं. 33/2018 तारीख रजू 15-11-2018 तारीख निर्णय 29/11/2018
आज पत्रावली व मुकाम 322 म देवा केस मारवाडा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/ब्रही
है। रिपोर्ट पटवारी ग्रंथ मारवाडा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल
श्री माड पुत्र श्री कल्याण जाति गुण 0.16
निवासी मारवाडा द्वारा आराजी खसरा नं. 605 रकबा
किस्म जमीन माड मौजा मारवाडा पर संवत् 20 74 में अतिक्रमण
कर काशत/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन 1956/उपनिवेशन अधिनियम
की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर
नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने
उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काशत करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन
किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री माड को आराजी खसरा नं. 605 रकबा 0.16
मौजा मारवाडा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 9.00 से उक्त रकबा
लगान 1.44 का 50 गुना में शास्ति 72 कायम की
जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार
एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया
गया।

दिनांक 29/11/2018

नायब तहसीलदार
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील इन्द्रगढ़